न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
13 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	04.02.2019	28.01.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री विनोद कुमार चन्देल पुत्र श्री नन्दलाल चन्देल निवासी इन्द्रा कॉलोनी ऑवा तहसील दूनी जिला टोक एफ.बी.ओ मैसर्स गौरव किराणा एण्ड जनरल स्टोर इन्द्रा कॉलोनी ऑवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

2– मैसर्स गौरव किराणा एण्ड जनरल स्टोर इन्द्रा कॉलोनी ऑवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 28.01.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.10.2018 को समय 4.45 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स गौरव किराणा एण्ड जनरल स्टोर इन्द्रा कॉलोनी ऑवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री विनोद कुमार चन्देल पुत्र श्री नन्दलाल चन्देल निवासी इन्द्रा कॉलोनी ऑवा तहसील दूनी जिला टोक एफ.बी.ओ मैसर्स गौरव किराणा एण्ड जनरल स्टोर इन्द्रा कॉलोनी ऑवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम [illegible] को विक्रय हेतु दुकान मे **नमकीन गुरूजी ब्राण्ड पॉली पैक** (Namk[illegible]ck) जिसके बैच नं0 0061 एंव पैकिग की दिनांक 17.10.2018 अंकित थी रखा [illegible] था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री विनोद कुमार चन्देल को गवाह के सामने फार्म 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की र[illegible] प्राप्त की जिस पर वि[illegible] विनोद कुमार चन्देल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 500–500 ग्राम के 14 नग सील्ड पैक **नमकीन गुरूजी ब्राण्ड पॉली पैक** (Namkeen Guruji Brand Poly Pack) रखे हुये मे से 500–500 ग्राम के 4 नग मूल पैक कुल 2.00 किलोग्राम का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री विनोद कुमार चन्देल को रू0 164/–अक्षरे एक सौ चोसठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **नमकीन गुरूजी ब्राण्ड पॉली पैक** (Namkeen Guruji Brand Poly Pack) खरीदशुद्वा 500–500 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 2.00 किलोग्राम को ज्यो का त्यो लेकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1987 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1987 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. विनोद कुमार चन्देल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2018/3137 दिनांक 14.12.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1764/एक्ट/2018/463 दिनांक 26.11.2018 अनुसार विनोद कुमार चन्देल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **नमकीन गुरूजी ब्राण्ड पॉली पैक** (Namkeen Guruji Brand Poly Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **द्वारा मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **नमकीन गुरूजी ब्राण्ड पॉली पैक** (Namkeen Guruji Brand Poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा ए[illegible] अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया [illegible] जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 [illegible]2 में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **नमकीन गुरूजी ब्राण्ड पॉली पैक** (Namkeen Guruji Brand Poly Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन गुरूजी ब्राण्ड पॉली पैक** (Namkeen Guruji Brand Poly Pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री विनोद कुमार चन्देल पुत्र श्री नन्दलाल चन्देल निवासी इन्द्रा कॉलोनी ऑवा तहसील दूनी जिला टोक एफ.बी.ओ मैसर्स गौरव किराणा एण्ड जनरल स्टोर इन्द्रा कॉलोनी ऑवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.01.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

28.1.2022

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजि.
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक--राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:23 IST
Reason: SelfAttested